



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-45/2023

राज्य

बनाम्

मो० हसीब अंसारी

—: आदेश :—

17/05/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 347/एम० दिनांक 23.03.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बरवाडीह थाना से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के आलोक में जप्त ट्रैक्टर रजि० नं०—JH19B-9737, Eng. No.-3100FL73G659866F, Chassis No-JZJST666942S3 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 16.03.2023 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी, बरवाडीह के नेतृत्व में थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल बरवाडीह थाना द्वारा संयुक्त रूप से बरवाडीह थाना अन्तर्गत छापामारी के क्रम में ग्राम—बखौरीडेरा, मोदी घाट के पास एक ट्रैक्टर वाहन, मॉडल DI35 Sonalika International, रजि० नं०—JH19B-9737, चेसीस नं०—JZJST666942S3 को बिना रजि० नं० के ट्रॉली पर करीब 100 सी०एफ०टी० अवैध बालू खनिज के साथ पकड़ा गया। छापामारी दल द्वारा उक्त ट्रैक्टर वाहन के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज सहित ट्रैक्टर वाहन को जप्त कर बरवाडीह थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। "The Jharkhand Minerals

9/5

(Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के तहत जप्त ट्रैक्टर वाहन एवं उसके ट्रॉली में लदे बालू खनिज को राजसात करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी ट्रैक्टर रजि० नं०-JH19B-9737, इंजन नं०-3100FL73G659866F, चेसीस नं०-JZJST666942S3 का निबंधित स्वामी है। विपक्षी एक निहायत ही गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखता है एवं जीविकोपार्जन हेतु सिर्फ खेती पर निर्भर है और उसी कार्य के प्रयोजन हेतु उपरोक्त ट्रैक्टर को ऋण लेकर क्रय किये हैं। विपक्षी उक्त ट्रैक्टर पर अज्ञानतावश बालू लोड करवा लिये थे, चूंकि आवेदक अपना घर बना रहा था एवं बालू की आवश्यकता थी। बालू लेकर जाने के क्रम में अंचल अधिकारी, बरवाडीह द्वारा जप्त कर लिया गया। विपक्षी बालू पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं, केवल जप्त ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को कृषि कार्य हेतु मुक्त करने का अनुरोध कर रहे हैं। विपक्षी का यह प्रथम गलती है। भविष्य में कभी भी इस प्रकार के गैरकानूनी कार्य नहीं करेंगे। न्यायालय के द्वारा आदेशित सभी शर्तों का अनुपालन करने को तैयार हैं। अतः न्यायहित में राजसात की कार्रवाई को समाप्त कर ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को मुक्त किया जाय।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त ट्रैक्टर रजि० नं०-JH19B-9737, इंजन नं०-3100FL73G659866F, चेसीस नं०-JZJST666942S3 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :-

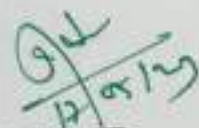
1. उक्त वाहन की प्रकृति व पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं०

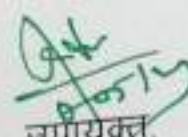
अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रु0 का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं विपक्षी को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।